न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 44 / 2024

1 मुन्नी देवी पुत्री नत्थूराम जाति मेघवाल निवासी नांद का बास तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनूं राज.।

अपीलांटस

बनाम

1 मोहर सिंह पुत्र शीशराम जाति जाट निवासी नांद तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनूं राज.।
2 नरेन्द्र पुत्र शीशराम जाति जाट निवासी नांद तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनूं राज.।
3 राजबाला पुत्री शीशराम जाति जाट निवासी नांद तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनूं राज.।
4 अनिता पत्नी सुभाषचन्द्र जाति जाट निवासी नांद तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनूं राज.।
5 कपिल पुत्र सुभाषचन्द्र जाति जाट निवासी नांद तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनूं राज.।
6 बबीता पुत्री सुभाषचन्द्र जाति जाट निवासी नांद तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनूं राज.।
7 सुप्यार कंवर पत्नी गोविन्द सिंह जाति राजपूत निवासी नांद तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनूं राज.।
8 सुनिल पुत्र सुभाषचन्द्र जाति जाट निवासी नांद तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनूं राज.।
9 ओमप्रकाश पुत्र मालाराम जाति मेघवाल निवासी नांद तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनूं राज.।
10 दयानन्द पुत्र मालाराम जाति मेघवाल निवासी नांद तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनूं राज.।
11 महेन्द्र सिंह पुत्र मुलाराम जाति मेघवाल निवासी नांद तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनूं राज.।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी • सीकर •

12 महिपाल सिंह पुत्र मुलाराम जाति मेघवाल निवासी नांद तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनूं राज.।
13 सुभाषचन्द्र पुत्र मुलाराम जाति मेघवाल निवासी नांद तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनूं राज.।
14 अरविन्द पुत्र किशना जाति मेघवाल निवासी नांद तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनूं राज.।
15 गीता देवी पत्नी किशना जाति मेघवाल निवासी नांद तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनूं राज.।
16 राकेश पुत्र किशना जाति मेघवाल निवासी नांद तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनूं राज.।
17 रामनिवास पुत्र किशना जाति मेघवाल निवासी नांद तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनूं राज.।
18 विमला देवी पुत्री किशना जाति मेघवाल निवासी नांद तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनूं राज.।
19 देवकरण पुत्र रामेश्वर जाति मेघवाल निवासी नांद तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनूं राज.।
20 राजपाल पुत्र रामेश्वर जाति मेघवाल निवासी नांद तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनूं राज.।
21 मुकेश देवी पत्नी शीशराम जाति मेघवाल निवासी नांद तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनूं राज.।
22 संदीप पुत्र शीशराम जाति मेघवाल निवासी नांद तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनूं राज.।
23 पुजा पुत्री शीशराम जाति मेघवाल निवासी नांद तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनूं राज.।
24 अशोक पुत्र चन्द्राराम जाति मेघवाल निवासी नांद तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनूं राज.।
25 इमरता उर्फ कविता पुत्री चन्द्राराम जाति मेघवाल निवासी नांद तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनूं राज.।
26 द्रोपदी पुत्री चन्द्राराम जाति मेघवाल निवासी नांद तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनूं राज.।
27 पोपली पत्नी चन्द्राराम जाति मेघवाल निवासी नांद तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनूं राज.।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

28 मंजु उर्फ कौशल्या पुत्री चन्द्राराम जाति मेघवाल निवासी नांद तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनूं राज.।

29 सरस्वती पुत्री चन्द्राराम जाति मेघवाल निवासी नांद तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनूं राज.।

30 जगदीश प्रसाद पुत्र खींवाराम जाति मेघवाल निवासी नांद तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनूं राज.।

31 राकेश पुत्र हनुमान जाति मेघवाल निवासी नांद तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनूं राज.।

32 हरपाल पुत्र पोकर जाति मेघवाल निवासी नांद तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनूं राज.।

33 रामचन्द्र पुत्र जीताराम जाति जाट निवासी नांद तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनूं राज.।

34 राजस्थार सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मलसीसर हाल बिसाऊ जिला झुन्झुनूं राज.।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 10.10.2023 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर प्रार्थना पत्र अ.धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उनवानी मुकदमा शीशराम बनाम सुनिल आदि मु.नं. 03/2018

उपस्थिति :

1. श्री मुकर्रम अंसारी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विनोद कुमार गिल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री राजेश पुनियां, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
4. श्री कायम सिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

–निर्णय–

दिनांकः– 11/7/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर द्वारा मुकदमा नम्बर 03/2018 में पारित निर्णय दिनांक 10.10.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टस ने एक प्रार्थना पत्र अ.धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत भूमि खसरा नम्बर 165, 164, 176, 167/393, 167, 168, 169 वाके ग्राम नांद व खसरा नम्बर 33 वाके ग्राम रिजाणी का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 के पिता व रेस्पोडेन्ट संख्या 4 लगायत 7 ने आपष में षड़यंत्र रचकर अपीलाट के फर्जी हस्ताक्षर कर विचारण न्यायालय में उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलान्ट की सहमति व जानकारी के बिना अपीलान्ट के खेत में से रास्ता कटवाने का निर्णय करवा लिया। जिसकी जानकारी अपीलान्ट को नहीं रही है। अपीलान्ट ने कभी भी विचारण न्यायालय में रास्ते बाबत कोई मुकदमा नहीं किया और ना ही अपने ओर से किसी वकील को पैरवी हिदायत दी थी। उक्त प्रार्थना पत्र में अपीलान्ट के फर्जी हस्ताक्षर कर उक्त निर्णय दिनांक 10.10.2023 पारित करवा लिया। जिसके लिए अपीलान्ट उक्त लोगों के विरूद्ध अलग से फौजदारी कार्यवाही करेगी। इसलिए विचारण न्यायालय का निर्णय दिनांक 10.10.2023 खारिज होने योग्य है। विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र में जिन खसरों में से रास्ता चाहा है उन सभी खसरों के सह खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया गया है बिना सह खातेदार को सुने व उसको सुनवाई का समुचित अवसर दिये उसके खातेदारी की भूमि में से रास्ता के आदेश देने न्यायिक प्रकिया के खिलाफ है। इसलिए पक्षकार के अभाव में भी विचारण न्यायालय का निर्णय दिनांक 10.10.2023 खारिज होने योग्य है। उक्त

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी • सीकर •

प्रकरण में तहसीलदार से मौका रिपोर्ट की मंगवाई गई वो भी तहसील कार्यालय में बैठकर बनाई गई है उसमें भी अपीलान्ट के हस्ताक्षर नहीं है। इस प्रकार उक्त प्रकरण सुनियोजित तरीके से अपीलान्ट से छुपाते हुवे उसकी फर्जी हस्ताक्षर कर उक्त निर्णय दिनांक 10.10.2023 पारित करवा लिया है। इसलिए विचारण न्यायालय को निर्णय दिनांक 10.10.2023 खारिज होने योग्य है। जानकारी से अंदर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में शीशराम एवं अनिता, कपिल, बबीता, मुन्नी, सुप्यार की ओर से धारा 251 ए का आवेदन प्रस्तुत किया गया था। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से आवेदन स्वीकार किया है। विचाराधीन प्रकरण में 27 अप्रार्थीगण थे। इन 27 अप्रार्थीगण द्वारा विचाराधीन निर्णय को चुनौती नहीं दी गई है। प्रस्तुत अपील विचारण न्यायालय में प्रार्थी संख्या 5 मुन्नी देवी की ओर से प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय से मौका रिपोर्ट के अनुसार रास्ता कायम करने का आदेश दिया है। अपीलांट का कथन है कि विचारण न्यायालय में अपीलान्ट के फर्जी हस्ताक्षर किये गये है। इस संदर्भ में राजस्व न्यायालय को सुनवाई की अधिकारिता नहीं है। अपीलान्ट द्वारा इस संदर्भ में आपराधिक प्रकरण भी दर्ज नहीं करवाया गया है। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। इस आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट ने 5 माह के असाधारण विलम्ब से अपील प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय में जरिये वकील उपस्थिति के उपरांत भी विलम्ब का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट धारा 5 का लाभ प्राप्त करने की अधिकारी भी नहीं है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में शीशराम एवं अनिता, कपिल, बबीता, मुन्नी, सुप्यार की ओर से धारा 251 ए का आवेदन प्रस्तुत किया गया था। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से आवेदन स्वीकार किया है। विचाराधीन

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

प्रकरण में 27 अप्रार्थीगण थे। इन 27 अप्रार्थीगण द्वारा विचाराधीन निर्णय को चुनौती नहीं दी गई है। प्रस्तुत अपील विचारण न्यायालय में प्रार्थी संख्या 5 मुन्नी देवी की ओर से प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय से मौका रिपोर्ट के अनुसार रास्ता कायम करने का आदेश दिया है। अपीलांट का कथन है कि विचारण न्यायालय में अपीलान्ट के फर्जी हस्ताक्षर किये गये है। इस संदर्भ में राजस्व न्यायालय को सुनवाई की अधिकारिता नहीं है। अगर इस प्रकरण में कोई आपराधिक कृत्य हुआ है तो प्रार्थी सक्षम स्तर पर कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है।

यहां यह विचारणीय है कि विचारण न्यायालय में मुन्नी प्रार्थी के रूप में पक्षकार थी और विचारण न्यायालय द्वारा मुन्नी के पक्ष में प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रास्ता कायम किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया यह जाहिर होता है कि अपीलान्ट ने स्वचछ हाथों से अपील प्रस्तुत नहीं की है। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

इस आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट ने 5 माह के असाधारण विलम्ब से अपील प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय में जरिये वकील उपस्थिति के उपरांत भी विलम्ब का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट धारा 5 का लाभ प्राप्त करने की अधिकारी भी नहीं है। विचाराधीन निर्णय को शेष प्रार्थीगण द्वारा भी चुनौती नहीं दी गई है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट मियाद के बिन्दु पर एवं गुणावगुण पर खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 11/7/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
(कैम्प झुन्झुनूं)